निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का कार्यालय, बिहार, पटना।

पत्रांक 12295
दिनांक 24.09.2024

☎ 0612–2330035
✉ sfocumdirector-bih@gov.in

प्रपत्र–ड़

File No.- 52/2024

औपबंधिक अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र

बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 की धारा–02 की उपधारा–(छ) के अधीन
बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अन्तर्गत)

प्रेषक,

निदेशक,
राज्य अग्निशमन सेवा,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

आकाश दीप,
निदेशक–
Deep Associates

आवेदनकर्त्ता **वास्तुविद्, जयराम प्रसाद** (विशिष्ट आई.डी.नं0 **CA/2016/76515**)

विषय :– **भवन निर्माण के लिए औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत ।**

महाशय,

राज्य अग्निशमन सेवा, बिहार, पटना के द्वारा गठित अग्नि सुरक्षा एवं निवारण स्कंध (FSPW) की संतुष्टि के उपरान्त व उक्त समिति में शामिल विशेषज्ञों की अनुशंसा के आलोक में भवन निर्माणकर्त्ता **आकाश दीप** के द्वारा प्रस्तावित भवन/ब्लॉक का निर्माण हेतु बिहार अग्निशमन सेवा नियममावली, 2021 के नियम 15(च)(iii) के अंतर्गत औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

प्रस्तावित भवन योजना से संबंधित भवन का नाम **Deep Associates, निदेशक–आकाश दीप, पिता–श्री विजय कुमार सिंह, प्लॉट नं0–972,973, खाता नं0–2,52, थाना नं0–227, मौजा–Anaith, जिला–भोजपुर (आरा),** अधिभोग **आवासीय,** उप श्रेणी **आवासीय,** भवन की ऊँचाई **20.13** (मीटर में) फर्श क्षेत्र **4939** वर्गमीटर, भवन के तलों की संख्या **5,** तलघर की संख्या **1,** स्लिट/भूतल की संख्या **1,** भवन के ब्लॉक की संख्या **1,** प्रत्येक मंजिल का औसत अधिभोग भार **24,** लिफ्ट की संख्या **2,** फायर लिफ्ट की संख्या **1,** रैम्प की संख्या **1,** आपातकालीन शरण स्थल (रिफ्यूजी एरिया) की संख्या **शून्य,** फायर टावर की संख्या **1** है। राष्ट्रीय भवन संहिता के दिशा–निर्देश, स्थानीय भवन नियमावली एवं स्थानीय परिस्थिति के आधार पर निम्नलिखित सलाह/अनुशंसा के साथ भवन निर्माण योजना की स्वीकृति दी जाती है, जिसका अनुपालन संबंधित वास्तुविद्/भवन निर्माणकर्त्ता/भू–स्वामी के द्वारा किया जाएगा।

भवन योजना पर प्रतिहस्ताक्षर के बाद आपके अनुमोदन हेतु अग्रसारित किया जाता है :–

(1) भवन निर्माणकर्त्ता द्वारा भवन के लिए खुली जगह (मीटर) (उत्तर **4.54 मी0,** दक्षिण **4.50 मी0,** पूर्व **7.55 मी0,** पश्चिम **5.33 मी0**) एवं पलायन के साधन (आंतरिक सीढ़ियों की संख्या **1,** चौड़ाई **1.20** (मीटर)/बाह्य सीढ़ियों की संख्या **1,** चौड़ाई **1.20** (मीटर) प्रस्तावित किया गया है।

(2) खुला स्थान एवं पहुँच–

(क) भवन के चारों तरफ तत्समय प्रवृत भवन उपविधि एवं अन्य तत्संबंधी अधिनियम/नियम/ विनियमन/ स्थानीय आवश्यकता के अनुसार खुला स्थान होगा एवं अग्निशमन दस्ते के पहुँच एवं घुमाने के लिए न्यूनतम 3.60 मीटर जगह (भवन श्रेणी एवं निर्माण के अनुसार परिवर्तनीय) छोड़ा जाना चाहिए ।

(ख) भवन का पहुँच पथ मजबूत एवं चौड़ी हो जो 20 मिट्रिक टन अग्निशामक वाहन का भार आसानी से सहन कर सके।

(ग) भवन के प्रवेश द्वार की चौड़ाई 4.5 मीटर एवं ऊँचाई 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए।

(3) बनावट :–

(क) प्रस्तावित भवन का पूरा निर्माण अनुमोदित योजना के अनुसार बिहार भवन उपविधि, 2014 **समय–समय पर यथा संशोधित** तथा स्थानीय नगर निकाय के भवन संबंधी नियमों को ध्यान में रखकर किया जाएगा ।

(ख) भवन का फर्श क्षेत्र 750 वर्गमीटर से अधिक होने की स्थिति में अलग–अलग दिवारों से उचित रूप से छत तक बॉटा जाएगा, जिसमें कम से कम दो घंटे तक अग्नि प्रतिरोधक क्षमता होगा ।

(ग) भवन की आंतरिक सजावट अग्नि फैलाव निरोधक सामग्री से बना हुआ आई0एस0 गुण स्तर का होगा।

(घ) भवन के केन्द्रीय कोर डक्ट का crown के पास वेन्टीलेशन का प्रावधान होगा । सभी उर्ध्व डक्ट का सीढ़ी पर्याप्त अग्नि निरोधक क्षमता के सामग्री से करने का व्यवस्था करना होगा ।

(4) सीढ़ी :–

(क) भवन का सीढ़ी बंद प्रकार का होगा। पूरे भवन निर्माण कार्य ईंट/आर.सी.सी. से न्यूनतम 04 घंटे के अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का होगा।

(ख) भवन का सीढ़ी के उपरी भाग में स्थायी भेन्ट होगा जो सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन एरिया का 05 प्रतिशत होगा। साथ ही सीढ़ी के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र का 15 प्रतिशत क्षेत्र के बराबर प्रत्येक मंजिल के स्तर पर खुलने योग्य Sashes होगा। यह भवन के बाहरी दीवार पर प्रदान किया जाएगा।

(ग) भवन के सभी सीढ़ियों का निर्माण कमरे से अलग होगा एवं किसी भी कमरे में प्रवेश किये बिना हर मंजिल पर एक दूसरे से परगम्य होगा, जिसे संबंधित छत के लेवल तक बढ़ाया जाएगा। सीढ़ी वाली दीवाल की छत आस–पास की छत के क्षेत्र से 1 मीटर ऊपर होगी।

(घ) विभिन्न श्रेणी के भवनों में सीढ़ी की चौड़ाई तथा कोरिडोर एवं यात्रा दूरी संबंधित भवन नियमों के अनुसार होगा ।

(ङ) दो सीढ़ी के मामले में एक सीढ़ी बाहरी दीवाल से होनी चाहिए ।

(च) तलघर तक पहुँच के लिए दोनों सीढ़ी तलघर मंजिल तक नहीं जाना चाहिए। पहुँच के लिए एक अलग सीढ़ी होगा ।

(5) अग्नि सुरक्षा प्रणाली :– राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित अग्नि सुरक्षा उपायों के प्रावधान के साथ अनुमोदित भवन योजना अग्रसारित किया जाता है:–

(क) होज रील

(ख) वेट राईजर–सह–डाउन कमर सिस्टम (**03** अदद)

(ग) यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम

(घ) हस्तचालित विद्युत अग्नि एलार्म सिस्टम

(ङ) पूरे भवन में ऑटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम

(च) स्प्रींक्लर सिस्टम (आवश्यकतानुसार)

(छ) भूतल स्टैटिक टैंक की क्षमता **100000** लीटर

(ज) ओभर हेड वाटर टैंक **10000** लीटर क्षमता

(झ) एक पम्प हाउस **1620** एल.पी.एम. इलेक्ट्रीक एवं डीजल, **180** एल.पी.एम. जॉकी पम्प, **900** एल.पी. एम. बूस्टर पम्प

(ञ) फायर एक्सटींग्यूसर

(6) संबंधित अधिनियम/नियम/विनियमन जैसे– बिहार भवन उपविधि, 2014, **समय–समय पर यथा संशोधित** राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016, **समय–समय पर यथा संशोधित** बहुभंजिली भवन निर्माण विनियम, 1981, बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 में संबंधित अधिभोग के लिए वांछित अन्य शर्तो का पालन किया जाएगाा । कुछ शर्ते निम्न प्रकार हैं :–

(क) **लिफ्ट** :–

(i) भवन का लिफ्ट की दीवार न्यूनतम 02 घंटे का अग्नि निरोधक क्षमता का होगा।

(ii) भवन का लिफ्ट उच्च गति "फायर लिफ्ट" पर डिजाइन की जाएगी और योजना में स्पष्ट रूप से चिन्हित होगा।

(iii) सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में, स्वचालित वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए। अपार्टमेंट भवनों के लिए विद्युत आपूर्ति में परिवर्तन हेतु हस्ताचालित परिवर्तनीय स्वीच के माध्यम से यह व्यवस्था किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से लिफ्ट इस तरह से वायर्ड होगा कि बिजली की विफलता की स्थिति में भी यह जमीन स्तर तक आयेगा एवं दरवाजा आसानी से खुल सकेगा।

(iv) आग लगने की स्थिति में प्रति घंटा 30 बार हवा परिवर्तन करने हेतु स्मोक वेटिंग सिस्टम का समावेश सभी लिफ्ट सॉफ्ट में कर धुँआ निकासी हेतु व्यवस्था की जाएगी। यह इस प्रकार का डिजाइन किया जाएगा कि स्प्रींक्लर एवं फायर एलार्म क्रियाशील हो सके। सामान्य विद्युत आपूर्ति की विफलता के मामले में यह स्वचालित रूप से वैकल्पिक आपूर्ति के लिए कार्य करेगा।

(v) अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ लिफ्ट का संचार व्यवस्था बनाये रखने सहित अन्य सभी आवश्यकताएँ आई0एस0 गुण स्तर के अनुरूप करना होगा, जिसमें भवन के लिफ्ट कार, अग्नि नियंत्रण कक्ष के साथ जुड़ी होनी चाहिए, जिससे संचार व्यवस्था बनी रहे।

(vi) राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 समय–समय पर **यथा संशोधित** से संबंधित प्रावधानों का पालन करते हुए फायर लिफ्ट होना चाहिए जैसे 1200 वर्गमीटर के फर्श क्षेत्र के लिए एक फायर लिफ्ट होना चाहिए।

(ख) भवन में सक्रिय अग्नि सुरक्षा प्रणाली जैसे प्रत्येक मंजिल पर लैण्डिग भल्व के साथ डाउन कमर सिस्टम एवं होज रील, छत स्तर पर 900 एल0पी0एम0 पम्प के साथ होगा। आई0एस0 2190/1992 तथा संबंधित विशिष्टियों का आई0एस0आई0 मार्कंड अग्निशमन यंत्र, फायर चेक दरवाजा, हस्तचालित कॉल अलार्म प्वाईन्ट, अग्नि सुरक्षा चमकीला संकेत एवं भवन निर्माण संहिता के अनुसार अन्य अग्नि निरोध उपाय किये जायेंगे।

(ग) तलघर में स्वचालित स्प्रींक्लर सिस्टम होना चाहिए एवं दो अलग–अलग निकास द्वार होना चाहिए।

(घ) भूतल जल स्टैटिक टैंक (20,000 लीटर से कम क्षमता का नहीं) स्वचालित रिफिलिंग की व्यवस्था के साथ हो, जहाँ अग्निशामक वाहन आसानी से पहुँच सके। ओभर हेड वाटर स्टैटिक टैंक (10,000 लीटर क्षमता से कम नहीं) अधिवास के पूर्व हो जाना चाहिए ।

(ङ) भवन के प्रत्येक मंजिल पर विद्युत केबुल सील होनी चाहिए ।

(च) भवन का कम्पार्टमेन्टेशन इस प्रकार होगा कि आग एवं धुँआ उसी क्षेत्र में सीमित रहेगा जहाँ अग्निकांड हुआ है तथा भवन के अन्य भागों में नहीं फैले ।

(छ) भवन के अलगाव दीवार एवं फ्लोर में खुला स्थान – ऐसे सभी प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देना होगा जो आग एवं धुँआ के फैलाव को इन खुला स्थानों में प्रवेश को सीमित कर सके और बनावट का फायर रेटिंग बरकरार रह सके। सभी दीवार में खुला स्थान न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग के अग्नि निरोधक दरवाजा से सुरक्षित रहेगा। मंजिलों में सभी खुला स्थान Vertical Enclosure से सुरक्षित रहेगा एवं ऐसे Enclosure का दीवार न्यूनतम दो घंटे की फायर रेटिंग का होगा ।

(ज) मंजिलों के प्रत्येक Vertical Openings यथोचित रूप से बंद एवं सुरक्षित रहेगा तथा निम्नलिखित व्यवस्थाएँ की जाएगी :–

(i) पलायन के रास्ता का प्रयोग करते वक्त अधिवासियों को मंजिल दर मंजिल खुले स्थान से आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए प्रर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिवासियों के निकासी मार्ग में कम से कम 21 मिली मीटर का उपरी भाग खुला हो।

(ii) दो घंटें की फायर रेटिंग का अग्नि दरवाजा बाहर भागने/निकलने के रास्ते एवं लिफ्ट में प्रवेश के रास्ते तथा सीढ़ी पर एवं अन्य उपयुक्त स्थानों पर आग एवं धुँआ के फैलाव को रोकने के लिए दिया जाएगा।

(iii) निकासी मार्ग का सुरक्षित प्रयोग हेतु स्मोक वेन्टिंग सुविधा प्रदान किया जाएगा ।

(iv) आंतरिक सजावट से जहरीला धुँआ के उत्पन्न होने से बचाने हेतु धुँआ निरोधी सामग्रियों का प्रयोग किया जाएगा ।

(v) भवन के निकासी मार्ग (सीढ़ी एवं कोरिडोर) का रौशनीकरण/सीढ़ियों का प्रेसराईजेशन/तलघर का वेन्टीलेशन राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016 **समय–समय पर यथा संशोधित** के अनुसार करना होगा ।

(vi) एयर कंडिशनिंग एवं वेन्टीलेशन सिस्टम को इस प्रकार अधिष्ठापित किया जाएगा, जिससे आग एवं धुँआ एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर और भवन से बाहर नहीं फैल सके। एयर फिल्टर में आग लगने पर धुँआ को फैलने से बचाने के लिए स्मोक सेन्सिटीव डिवाईस भवन में होना चाहिए। प्रत्येक तल पर आग और धुँए के हजार्ड से बचाने के लिए प्रत्येक तल पर अलग–अलग एयर हैंडलिग यूनिट होना चाहिए। फायर डंपर्स को ए0सी0 सिस्टम में प्रदान किया जाएगा, ताकि आग की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद हो सके और इस तरह अग्नि/धुँआ का फैलाव रोका जा सके।

(vii) **विद्युत अधिष्ठापन**– विद्युत सुरक्षा भारतीय विद्युत नियमावली एवं संबंधित आई0एस0/संहिता के प्रावधान के आलोक में होगा। लाईसेंस विद्युत ठेकेदार के द्वारा विद्युत अधिष्ठापन किया जाएगा। मुख्य रूप से अलग नली में वायरिंग, अलग सर्किट, स्वचालित सर्किट ब्रेकर, मास्टर स्वीच, इंस्पेक्शन पैनल दरवाजा, आपातकालीन/वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति का आवधिक सत्यापन आदि पर ध्यान दिया जाएगा ।

(viii) भवन का अधिवास प्राप्त करने के बाद प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार नियमित रूप से फायर एक्जीट ड्रिल किया जाना चाहिए ।

(ix) अग्नि सुरक्षा अधिकारी–एन0बी0सी0 2016 और बिहार अग्निशमन सेवा अधिनियम, 2014 के अनुसार।

(x) भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन उपकरणों आदि का ए0एम0सी0 योग्य फर्म या व्यक्ति को दिया जाना चाहिए।

(xi) स्थापित नियम के आलोक में भवन के सेट बैक का चेकिंग वास्तुविद/पारित करने वाले द्वारा किया जाएगा।

(xii) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सिफारिशों का पालन नहीं करने की स्थिति में भविष्य में होने वाली किसी भी कानूनी विवाद के मामले में, जिम्मेवारी डेवलपर्स/वास्तुविद/जमीन मालिक पर होगी एवं किसी भी सरकारी प्राधिकार (जैसे कि निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना) की नहीं होगी ।

(xiii) इसके द्वारा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस कार्यालय (अर्थात निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना/प्राधिकृत पदाधिकारी) का कार्यालय उस भूमि के किसी भी कानूनी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं है, जिसपर प्रस्तावित भवन का निर्माण होगा।

(7) अनिवार्यतः अन्डरटेकिंग्स के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा ।

(8) इसे औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र माना जाएगा। उपरोक्त सभी अग्नि एवं जीवन सुरक्षा अनुशंसाओं के अनुपालन के बाद आवश्यक निरीक्षण एवं अधिष्ठापन के जाँच हेतु राज्य अग्निशमन कार्यालय को सूचित करना होगा। सभी बिन्दुओं की जाँच से संतुष्टि के बाद अंतिम अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा ।

(9) अनुमोदित भवन योजना में बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी प्रकार का विचलन या परिवर्तन किये जाने की स्थिति में इस औपबंधिक अनापत्ति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाएगा।

(10) हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ नक्शा वापस किया जाता है।

अनुलग्नक:–

1) वास्तुविद, जयराम प्रसाद
2) अध्यक्ष, नगर निगम,

निदेशक–सह–राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
बिहार, पटना ।

FORM III
[Rule 3]
Certificate of Registration

1. Registration Mark and Number :	**P.T./ TBSE_REG/2019/05158**
2. Name of Establishment :	**DEEP ASSOCIATES**
3. Full Postal address of the Establishment :	**FLAT NO-505,BLOCK B,PHOOL KUNWAR APARTMENT,R.K. PURAM,NEAR MOUNT LITERA SCHOOL,DANAPUR,PATNA**
4. Location of the Establishment :	**WARD NO-14,HOLDING NO-505**
5. Type of Business, trade or profession carried on :	**Others**
6. Name and designation of the Manager or Agent or any other person in the immediate charge or control of the establishment :	**AKASH DEEP, PROP**

7. Name and designation of other persons having interest as employer in the establishment :

S. No.	Name and Parcentage	Designation
1.	AKASH DEEP,S/O-VIJAY KUMAR SINGH	PROP
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

8. Maximum number of persons to be employed on any day :
2

This is to certify that the establishment, the particulars of which have been given above, has been registered under the Bihar Shops and Establishment Act,1953 on: 28/05/2019

Date : 28/05/2019 Digital Signature

Digitally signed by RAJIV RANJAN
Date:2019.05.28 09:49:35 +05:30

Reference No: TBSE_REG/2019/05158 To View: http://serviceonline.bihar.gov.in/t/9Mtw Token No: 36311F5C

Reg. Sl. No. 387 Date 30/1/25



AFFIDAVIT

I Akash Deep Promoter/Proprietor of DEEP ASSCOCIATES declaring that there is no any advance/receipt has been taken from is customer against are current Project **ARA CITY CENTER** till date.

Sri/Smt. Akash Deep
who is identified by Sri. S.K.
Advocate, solemnly affirmed and declared before me.

MUMTAJ UDDIN
Notary Public, Patna
30/1/25

DEEP ASSOCIATES
REG No.- BR/UDHD/BLDR/P/23-0181



I, Identify the Deponent Signature/L.T.I.
who has signed in my presence
S.K.
30-1-25

Reg. Sl. No. 386 dt. 30/1/25



AFFIDAVIT

I Akash Deep Promoter/Proprieter of DEEP ASSOCIATES Limited here by submit/declare that during the last five year. I have not taken up any project in the individual capacity or in any other capacity.

I also have to submit that there is no any case against me in regard to the project as I have not taken in any project during the last five years.

Sri/Smt. Akash Deep
who is identified by Sri S.K. Advocate, solemnly affirmed and declared before me.

MUMTAJ UDDIN
Notary Public, Patna

DEEP ASSOCIATES
REG No.- BR/UDHD/BLDR/P/23-0181



I, identify the Deponent Signature/L.T.I. who has signed in my presence
S.K.
Adv.
30-1-25

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 10BHTPD1081M1ZD

1.	**Legal Name**	Akash Deep			
2.	**Trade Name, if any**	DEEP ASSOCIATES			
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship			
4.	**Address of Principal Place of Business**	Mourya Complex, Godhna Road, Annaith, Ara Nawada, Bhojpur, Bihar, 802301			
5.	**Date of Liability**				
6.	**Period of Validity**	From	03/07/2020	To	Not Applicable
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**	Bihar			

Signature

Name	Sudhir Kumar Purbey
Designation	Joint Commissioner of State Tax
Jurisdictional Office	Shahabad
9. Date of issue of Certificate	03/07/2020

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 03/07/2020 by the jurisdictional authority.

Annexure A

सत्यमेव जयते

GSTIN	10BHTPD1081M1ZD
Legal Name	Akash Deep
Trade Name, if any	DEEP ASSOCIATES

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State	0

सत्यमेव जयते

Annexure B

GSTIN	10BHTPD1081M1ZD
Legal Name	Akash Deep
Trade Name, if any	DEEP ASSOCIATES

Details of Proprietor

1		Name	Akash Deep
		Designation/Status	Proprietor
		Resident of State	Bihar

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA



आकाश दीप

Akash Deep

जन्म तिथि/DOB: 31/12/1990

पुरुष/ MALE

7120 8039 1938

आधार - आम आदमी का अधिकार

आधार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

Address:

S/O Vijay Kumar Singh, Flat No.-505, Block-B, Phool Kunwar Apartment, R.K.Puram, Near Aastik Buildicon, Danapur, Danapur, Patna, Bihar - 801503

पता:

S/O विजय कुमार सिंह, फ्लैट न.-505, ब्लॉक-बी, फूल कुंवर अपार्टमेंट, आर.के.पुरम, आस्तिक बिलडीकोन के पास, दानापुर, दानापुर पटना, बिहार - 801503

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

AKASH DEEP

VIJAY KUMAR SINGH

31/12/1990

Permanent Account Number

BHTPD1081M

Signature



Sl. No. 876
Date 20/01/25

WELFARE STAMP
बिहार

NOTARY
B. K. Nandan
R.No.-6920J-17-12
DANAPUR
PATNA
Ex.Dt.-15-5-27
Govt. of Bihar (India)

AFFIDAVIT

SHASHIKANT, AGED ABOUT YEAR, S/O LATE RAM SHIHASAN PRASAD, RESIDENT OF VILLAGE- ARA NAWADA, POST AND THANA - NAWADA, DISTRICT- BHOJPUR, HAVING HIS AADHAR NO- 2206 0140 8814, CITIZENS OF INDIA, LANDOWNERS (AS DESCRIBED UNDER DEVELOPMENT AGREEMENT VIDE DEED No.- 9239, DATED- 31/07/2021),do here by solemnly affirm and state as follows:–

1. That I am the Landowner came under the development agreement with **DEEP ASSOCAITES** Registered under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953, with Registration Mark and Number. **P.T./TBSE_REG/2019/05158** having its registered at office Mourya Complex, Godhna Road, Annaith, Ara Nawda, Bhojpur, Ara, District- Bhojpur, Pin-802301, (Bihar) Vide Deed No.-9239 Dated 31/07/2021 for the construction of Building / Apartment as per Land described under the Development Agreement.

2. That I hereby declare that I have **No Objection** over the construction on the aforesaid land described under the Development Agreement for Development & Construction work for this project till completion of this project form today.

3. That it is further stated here that we are on good sense of mind, give consent to the Developer namely **DEEP ASSOCIATES** for the construction of Multi storied building / apartment on the Land described under the Development Agreement vide Deed No. 9239 Dated 31/07/2021 .

That I have gone through the contents of this affidavit and have fully understood the same and they are true to the best of my knowledge which I believe to be true and correct.

NOTARY
B. K. Nandan
R.No.-6920J-17-12
DANAPUR
PATNA
Ex.Dt.-15-5-27

Sri/Smt. Shashikant
who is identified by Sri. S. Pd
Advocate solemnly affirmed and declared before me
20/1/25
Brajesh Kumar Nandan
Public Danapur (Patna

DEPONENT

I identify the deponent, Executan who has Signed/Put-L.T.I./R.T.I in my presence
Advocate 20/1/25

Scanned with CamScanner

INDIA JUDICIAL
GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

बिहार सरकार

Certificate No.	: **BR-JS-4TQZR9UWXBJX6JZ**
Certificate Issued Date & Time	: 16-01-2025 13:42:15
Account Reference	: NA
Description of Document	: Courtfee with Litigant details
Name of Litigant	: CIVIL COURT DANAPUR
Amount	: ₹100
Amount in Words	: Rupees One Hundred

PATLIPUTRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK LTD. DANAPUR (E-COURT)

BR-JS-4TQZR9UWXBJX6JZ

NOTARY B. K. Nandan R.No.-6920J-17-12 DANAPUR PATNA Ex.Dt.-15-9-27 Govt. of Bihar (India)

CIVIL COURT DANAPUR

Issued At
The Patliputra central Co-Op Bank Ltd
Patna-800001
BH/2720/5900139

Statutory Alert:

1. The autheticity of this certificate should be verfied at https://indiadigitalstamps.pitneybowes.com/ or using Mobile app. Any discrepancy in the deatils on this Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the competent Authority.

Scanned with CamScanner

Sl. No. 877
Date. 20/1/25

AFFIDAVIT

RAJINIKANT KUSHWAHA, AGED ABOUT YEAR, S/O LATE RAM SHIHASAN PRASAD, RESIDENT OF VILLAGE- ARA NAWADA, POST AND THANA - NAWADA, DISTRICT- BHOJPUR, HAVING HIS AADHAR NO- 4920 1980 1338, CITIZENS OF INDIA, LANDOWNERS (AS DESCRIBED UNDER DEVELOPMENT AGREEMENT VIDE DEED No.- 9239, DATED- 31/07/2021),do here by solemnly affirm and state as follows:–

1. That I am the Landowner came under the development agreement with **DEEP ASSOCAITES** Registered under the Bihar Shops and Establishment Act, 1953, with Registration Mark and Number. **P.T./TBSE_REG/2019/05158** having its registered at office Mourya Complex, Godhna Road, Annaith, Ara Nawda, Bhojpur, Ara, District- Bhojpur, Pin-802301, (Bihar) Vide DeedNo.-9239 Dated 31/07/2021 for the construction of Building / Apartment as per Land described under the Development Agreement.

2. That I hereby declare that I have **No Objection** over the construction on the aforesaid land described under the Development Agreement for Development & Construction work for this project till completion of this project form today.

3. That it is further stated here that we are on good sense of mind, give consent to the Developer namely **DEEP ASSOCIATES** for the construction of Multi storied building / apartment on the Land described under the Development Agreement vide Deed No. 9239 Dated 31/07/2021 .

That I have gone through the contents of this affidavit and have fully understood the same and they are true to the best of my knowledge which I believe to be true and correct.

Sri/Smt. Rajnikant Kushwaha

who is identified by Sri. S. Pd
Advocate solemnly affirmed and declared before me
20/1/25
Brajesh Kumar Nandan
Public Danapur (Patna

Rajnikant Kushwaha
DEPONENT

I identify the deponent, Executant who has Signed/Put L.T.I./R.T.I in my presence
Advocate 20/1/25

INDIA JUDICIAL
GOVERNMENT OF BIHAR
e-Court Fee

बिहार सरकार

Certificate No.	: BR-JS-VRCERNNXH4J2KYB
Certificate Issued Date & Time	: 16-01-2025 13:39:48
Account Reference	: NA
Description of Document	: Courtfee with Litigant details
Name of Litigant	: CIVIL COURT DANAPUR
Amount	: ₹100
Amount in Words	: Rupees One Hundred

PATLIPUTRA CENTRAL CO-OPERATIVE BANK
DANAPUR
(E-COURT)

BR-JS-VRCERNNXH4J2KYB

NOTARY
B. K. Nandan
R.No.-[illegible]20J-17-12
DANAPUR
PATNA
Ex.Dt.15-9-27
Govt. of Bihar (India)

CIVIL COURT
DANAPUR

Issued At
The Patliputra central Co-Op Bank Ltd
Patna-800001
BH/2720/5900139

Statutory Alert:

1. The autheticity of this certificate should be verfied at https://indiadigitalstamps.pitneybowes.com/ or using Mobile app. Any discrepancy in the deatils on this Certificate and as available on the website/Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the competent Authority.

Scanned with CamScanner